राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(62)ग्रावि–5/इं.आ./2013–14 जयपुर, दिनांक 02 जुलाई, 2014

आदेश

वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु इन्दिरा आवास योजना के सफल संचालन के लिए आवासों की गुणवत्ता, पर्यवेक्षण, निगरानी हेतु किराये के वाहन तथा आवास सॉफ्ट मे डाटा दर्ज करने के लिए निम्नानुसार नवीन अस्थाई/संविदा पदों के सृजन एवं किराये के वाहन लिये जाने की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अस्थाई/संविदा पद–

क्र. सं.	पदनाम	पदो की संख्या 2014–15	विवरण
1.	(अ) राज्य स्तर		
	कम्प्यूटर मशीन विद मैन	05	वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से
2.	(ब) जिला स्तर		
	कम्प्यूटर मशीन विद मैन	66	
3.	(स) ब्लॉक स्तर		
	कम्प्यूटर मशीन विद मैन	249	
	योग	320	

किराये के वाहन :–

क्र. सं.	स्तर	वाहनों की संख्या	विशेष विवरण
1	राज्य स्तर	02	वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार एवं निर्धारित दरों पर
2	राज्य स्तर (As & when basis)	02	
3	जिला स्तर	33	
4	ब्लॉक स्तर	249	
	योग	286	

यह स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन है :–

1. विभाग द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निर्धारित प्रशासनिक व्यय की सीमा के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा।
2. भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत जारी केन्द्रांश के विरूद्ध मैचिंग राज्यांश राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अन्य कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जायेगी तथा
3. विभाग द्वारा उक्त सेवायें लेते समय सामान्य वित्तीय लेखा नियमों तथा राजस्थान लोकउपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।